न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
66 / 2022	प्रा.पत्र 251-A RTA	12.10.2022	06.02.2025

1. इन्द्रचंद पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. सुप्यार देवी पत्नी इन्द्रचंद जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. मंगेजाराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

–प्रार्थीया–

बनाम

1. प्रमेश्वरी देवी पत्नी स्व. भोमाराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र स्व. भोमाराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज)
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. भीमाराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज)
4. हरिराम पुत्र स्व. भोमाराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज)
5. लिछमा पुत्री रव, भोमाराम पत्नी जीवणराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज) हाल अपनी ससुराल गांव ढाणी रणां तहसील व जिला चूरू (राज)
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू जरिये शाखा प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज) ...अप्रार्थीगण–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री रमेश राहड़ प्रार्थीगण
2 अधिवक्ता श्री कपिल महर्षि अप्रार्थी सं. 2 से 5
3 पैरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना पत्र पेश

1. यहकि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 का पति तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 का पिता स्व. भोमाराम सगे भाई है तथा प्रार्थीया संख्या 02 प्रार्थी संख्या 01 की पत्नी है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 गांव जवानीपुरा तहसील तारानगर के निवासी है. रोही गांव जवानीपुरा व गांव चलकोई बीकान व गांव चलकोई वणीरोतान कृषि भूमियों की सीमा लगती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 की रोही गांव चलकोई बीकान व रोही चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में कृषि भूमियों है।
2. यहकि खेत खसरा नम्बर 207 / 196 तादादी 6.07 हेक्टेयर रोही चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू को अप्रार्थीया संख्या 01 के पति व अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 के पिता स्व. भोमाराम पुत्र ख्यालीराम व प्रार्थीगण संख्या 01 व 03 ने जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र दिनांक 16.10.2015 के द्वारा तथा प्रार्थीया संख्या 02 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2015 से संयुक्त खातेदारी हासिल की उसके पश्चात प्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 व अप्रार्थीया संख्या 01 का पति व अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 के पिता भोमाराम खेत खसरा नम्बर 207 / 196 तादादी 6.07 हेक्टेयर रोही चलकोई बीकान तहसील [illegible] दार बने इसके पश्चात आपसी सहमति से रिकार्ड में खाता विभाजन किया गया [illegible] री साईड का हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के संयुक्त हिस्से में 2.4[illegible] 462 / 207 रोही चलकोई बीकान में अलग जमाबंदी अलग [illegible] या संख्या 01 के प[illegible] अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 के स्व. पिता भोमाराम के दक्षिणी [illegible] खसरा नम्बर 461 / 2[illegible] दी 2.6684 हैक्टेयर कृषि भूमि का अलग खाता अलग जमाबंदी में दर्ज हुआ तथा प्रार्थी संख्या 03 मंगेजाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

के हिस्से में मध्य (बीच) की कृषि भूमि खसरा नम्बर 463/207 तादादी 0.9864 हैक्टेयर कृषि भूमि खाता विभाजन होकर अलग अलग जमाबंदी बनी तथा अप्रार्थीया संख्या 01 के पति व अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 के पिता स्व. भोमाराम के हिस्सा के खेत खसरा नम्बर 461/207 तादादी 2.6684 हैक्टेयर रोही चलकोई बीकान के चिपता ही दक्षिण साईड में रोही चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में खेत खसरा नम्बर 497/236 तादादी 2.5799 हैक्टेयर कृषि भूमि में अप्रार्थीया संख्या 01 का पति तथा अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 का पिता स्व. भोमाराम पुत्र स्व. ख्यालीराम जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के खातेदार है। भोमाराम की दिनांक 21.04.2021 को मृत्यु हो चुकी है, खेत खसरा नम्बर 497/236 रोही चलकोई बणीरोतान के चिपता ही दक्षिण साईड में खेत खसरा नम्बर 498/236 तादादी 2.3270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 तादादी 0.2529 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 2.5799 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही चलकोई बणीरोतान की खातेदार अप्रार्थीया संख्या 011 परमेश्वरी देवी पत्नी भोमाराम खातेदार काश्तकार है, तथा खेत खसरा नम्बर 275 खसरा नम्बर 498/236 रोही चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू के बीच से कटाणी रास्ता है, खसरा नम्बर 275 रोही चलकोई बणीरोतान के उत्तरी सींव व खसरा नम्बर 498/236 रोही चलकोई बणीरोतान की दक्षिण सींव सींव कटाणी रास्ता है, जो गांव चलकोई बणीरोतान से जवानीपुरा व गांव सात्यूं तहसील तारानगर की ओर जाता है।

3. यहकि खेत खसरा नम्बर 461/207 रोही चलकोई बीकान व खेत खसरा नम्बर 497/236 रोही चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू के खातेदार भोमाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू की मृत्यु दिनांक 21.04. 2021 को होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 भोमाराम के जायज वारिस होने तथा वर्तमान में कृषि भूमि की काश्त व कब्जा होने से पक्षकार बनाया गया हैं। अभी तक अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 5 के विरासतन नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआं है, स्व. भोमाराम के यज वारिसान निम्नानुसार है :–

1. भोमाराम
   - 2. परमेश्वरी देवी पत्नी मौजूद
   - 3. भंवरलाल पुत्र मौजूद
   - 4. महेन्द्र कुमार पुत्र मौजूद
   - 5. हरिराम पुत्र भौजूद
   - 6. लिछमा पुत्री मौजूद

4. यहकि प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के संयुक्त खेत खसरा नम्बर 462/207 तादादी 2.4155 हेक्टेयर रोही चलकोई बीकान का रास्ता प्रार्थी संख्या 03 के खेत खसरा नम्बर 463/207 रोही चलकोई बीकान मुताबिक एनेक्चर "ए" में दर्ज लाल स्याही अनुसार प्रवेश करता है, फिर प्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 का 12 फुट चौडा रास्ता एनेक्चर "ए" मुताबिक नक्शा खेत खसरा नम्बर 461/207 तादादी 2.6684 हैक्टेयर रोही चलकोई बीकान में प्रवेश करता है तथा उसके पश्चात खेत खसरा नम्बर 497/236 तादादी 2.5799 [illegible] न में प्रवेश कर आगे खेत खसरा नम्बर 498/236 तादादी 2.3270 हैक्टेयर रोही [illegible] णीरोतान में प्रवेश कर कटानी रास्ते में मिलता है। प्रार्थीगण का रास्ता [illegible] जहां से शुरू होता है, वहां से कटानी रास्ते तक करीब [illegible] 12 फुट चौडा है, जो नजरी नक्शा के मुताबिक है, उक्त रास्ता से प्रार्थीगण पैदल, ऊंटगा[illegible] ट्रेक्टर ट्रोली, जीप पीकअप व अन्य साधनों से आवागमन करते चले आ रहे है। जो काश्त समय इसी रास्ते से ट्रेक्टर ले जाकर अपनी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

भूमि जुताई करवाते है। इसी रास्ते खेत काश्त करने के पश्चात अपने पशुधन के जरिये इसी रास्ते से अपने घर गांव जवानीपुरा से आवागमन करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता गांव चलकोई बणीरोतान से गांव जवानीपुरा व सात्यूं गांव जाने वाले कटानी रास्ते से फटकर 12 फुट चौडा रास्ता मुताबिक एनेक्चर "ए" अप्रार्थीया संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 498/236 तादादी 2.3270 हैक्टेयर रोही चलकोई बणीरोतान में प्रवेश कर आगे जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 के खसरा नम्बर 497/236 तादादी 2.5799 हैक्टेयर रोही चलकोई बणीरोतान में होता हुआ, आगे अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 के खेत खसरा नम्बर 461/207 तादादी 2.6684 हैक्टेयर रोही चलकोई बीकान होता हुआ, प्रार्थी संख्या 03 के खेत खसरा नम्बर 463/207 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रोही चलकोई बीकान होता हुआ, प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के संयुक्त खेत खसरा नम्बर 462/207 रोही चलकोई बीकान में प्रवेश करता है, उपरोक्त रास्ता लघुतम रास्ता है। उपरोक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोगिता के लिये नहीं है। प्रार्थीगण के लिये गांव से खेत जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 498/236 व खसरा नम्बर 275 के मध्य में जाने वाला कटानी रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के दूसरे कटानी रास्ते 2 किलोमीटर की ज्यादा दूरी पर है, लेकिन उपरोक्त रास्ता मात्र 200 मीटर के लगभग लम्बी दूरी पर है, उपरोक्त रास्ता से वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आवागमन करते आ रहे है। इस रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि भविष्य में रास्ता को लेकर पक्षकारान में किसी प्रकार से तनाजा विवाद व झगड़ा फसाद ना हो।

5. यहकि प्रार्थीगण संख्या 01 व 03 के बड़े भाई व अप्रार्थीया संख्या 01 के पति व अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 के पिता स्व. भोमाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू की मृत्यु दिनांक 21.04.2021 को मृत्यु होने के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 01ता 05 लालची किस्म के व्यक्ति होने से जो उक्त रास्ता बंद करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थीगण संख्या 01 व 03 के बड़े भाई के जीवन काल में उपरोक्त रास्ते से आवागमन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भोमाराम की मृत्यु के पश्चात तरह तरह की धमकिया अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 दे रहे है तथा प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान बाधा करने रास्ते से आवागमन को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 की वजह से ही प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के उपरोक्त रास्ते में बाधा करके तंग परेशानी करने लगे है तथा आने जाने से प्रार्थीगण को टोकते है। उक्त रास्ता की अत्यातिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, बल्कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई कटानी रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक कोई गांव जवानीपुरा आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता लघुतम है, जिसे राजस्व रिकार्ड में कायम करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

6. यहकि प्रार्थीगण उपरोक्त प्रार्थना पत्र में लगने वाले व्यय उक्त रास्ते के बदले में जानी वाली भूमि के एवज में डी.एल.सी की दुगुनी राशि का भुगतान करने हेतु तैयार है।

7. यहकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया कि साथ में चलकर एनेक्चर "ए" में अंकित रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रिकार्ड में दुरूस्त करवा देवे और खसरा नम्बर 498/236, खसरा नम्बर 497/[illegible] व खसरा नम्बर 461/207 रोही चलकोई बीकान की भूमि मे से एनेक्चर "ए" [illegible] अंकित [illegible]ार रास्ता कटवा देवे, मगर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 टालमटोल [illegible] .09.2022 को ऐसा करने से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 ने [illegible] इस कारण दिनांक 28.09.2022 को प्रार्थना पत्र का हेतुक पैदा हुआ है, प्रार्थीगण वादगत कृषि [illegible] मि के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

AU

8. यहकि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 की कृषि भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा दूधवाखारा के रहन रखी हुई है, इसलिये प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटी ना रहे, इसलिये प्रतिवादी संख्या 06 को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है। यहकि वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार के लिये तहसीलदार महोदय चूरू के पांवर व पजेशन में है तथा पार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में स्वीकार अनुसार प्रवीशिष्टया भी तहसीलदार महोदय चूरु के माध्यम से होनी है, इसलिये प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 07 बनाया गया है. मगर प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार के हितो के प्रतिकुल असर हालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता बहीं है।

9. यहकि वादगत कृषि भूमियां रोही चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू व रोही चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में होने से अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है तथा प्रार्थना पत्र मुकर्रस्शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौके पर मौजूद रास्ता कृषि भूमि जो कटानी सस्ता गांव चलकोई बणीरोतान से जवानीपुरा व सात्यूं गांव जाने वाला से खसरा नम्बर 498/236, खसरा नम्बर 497/236 रोही चलकोई बणीरोतान व खसरा नम्बर 461/207 रोही चलकोई बीकान की भूमि में से एनेक्चर "ए" के अनुसार 12 फुट चौडा कटानी रास्ता कायम किया जावे, तथा तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जावे तथा राजस्व नक्शा में रास्ता तरमीम किया जावें। श्रीमानजी की बडी कृपा होगी।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कपिल महर्षि ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दावा पेश किया गया अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा इस प्रकार है कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे लिखे तथ्य प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य होने का गलत लिखा है इसलिए अस्वीकार है। ग्राम चलकोई बीकान व चलकोई बनीरोताण की कृषि भूमियां अलग अलग है तथा ग्राम जवानीपुरा तह. तारानगर की सीमा चलकोई बीकान की सीमा नही मिलती है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में लिखे तथ्य खसरा सं. 207/196 की वर्तमान में खातेदारी बाबत तथ्य अस्पष्ट व भ्रामक होने के कारण अस्वीकार है बाकी तथ्य प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में तरोड़ मरोड़ कर विपरीत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है हकीकत यह कि खसरा सं. 497/236, 498/236 व 275 वाके रोही चलकोई बनीराताण की खातेदारी अकेले ही अप्रार्थीया सं. 01 की है तथा खसरा सं. 461/207 वाके रोही चलकोई बीकान का रकबा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी का है। खसरा सं. 497/236, 498/236 वाके रोही चलकोई बनीरोतान की कृषि भूमि मे से खसरा सं. 463/207,462/207 वाके रोही चलकोई बीकान के प्रार्थीगण का कभी [illegible] बाबत कभी नही रही है बल्की खसरा सं 312/206 व 195 वाके रोही चल[illegible] में सदामत से कदमी रास्ता मोके पर मौजुद है जिसमें से होकर प्रार्थीगण [illegible] 462/207,463/207 की कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे [illegible]र्थीगण की अप्रार्थीगण के खसरा सं. 497/236,498/236,27 वाके रोही चलकोई बनीर[illegible] व खसरा सं. 461/207 वाके रो चलकोई बीकान मे से कभी रास्ता नही रहा है न ही आज है गल् तथ्य लिख कर ये प्रार्थना पत्र की मद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

सं. 2 पेश किया है प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण के बिना आधार के होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 03 में दर्ज कथन स्व. भोमा राम की मृत्यु होना तथा खसरा सं. 461/207 वाके रोही चलकोई बीकान स्व. भोमाराम की खातेदारी होना सही दर्ज किया गया के लिये प्रार्थना पत्र की मद स. 03 स्वीकार है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 04 मे दर्ज तमाम कथन तोड़ मरोड कर हकीकत के विपरीत, बिना आधार के दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत एनेक्सर ए में बरंग लाल जो गलत रूप से रास्ता होना कथन किया गया, जबकि वास्तव में प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 462/207.463/207 वाके रोही चलकोई बीकान में जाने हेतु कोई रास्ता कभी नहीं रहा न ही मौके पर है प्रार्थीगण रास्ता जो सदामत से कदमी रास्ता खसरा सं. 195 व 312/206 वाके रोही चलकोई बीकान में से रहा है। खसरा सं. 498/236.497/236, 275 वाके रोही चलकोई बनीरोताण में से कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही रहा है। प्रार्थीगण ने भ्रामक रूप से बनावटी तथ्य दर्ज कर यह प्रार्थना पत्र बिना आधार के दर्ज किए गए है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 05 में दर्ज तमाम कथन गलत दर्ज किए गए इसलिए अस्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 06 में मन गढ़त व झुठे दर्ज किए गए है इसलिए अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 497/236, 498/236, 275 वाके रोही चलकोई बनीरोताण में है जो दोमुटी व उपजाउ भूमि है, जो करीब चार लाख रूपये प्रति बीघा की मालयित की है। अप्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने व खर्चे से जेरबार करने के उद्देश्य से यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र मद सं. 07 में दर्ज तमाम कथन हकीकत के विपरीत गलत दर्ज किए गए है इसलिए अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई रास्ता कभी भी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से नहीं रहा है

यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 8 अप्रार्थीगण की कृषिभूमि जो कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवाखारा के रहन चली आ रही है जब तक रहन से मुक्त न हो जाती तब तक प्रार्थीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद सं. 09 कानूनी है इसलिए जवाब की आवश्यकता नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद से 10 में दर्ज कथन व अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गय खर्चा खारिज कराया जाये। अजया प्रार्थना पत्र मय शयय पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

अप्रार्थी संख्या 6 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार चूरू से रि[illegible] से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

1. अशधारकों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट [illegible] किन अप्रार्थीगणों ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तावित रास्ता जो कि मौ[illegible] चलकोई बणीरोतान से जवानीपुरा कटानी रास्ते से खसरा नम्बर 400/230, 407/230 रो[illegible] चलकोई वणीरोतान की पूर्वी सींव के सहारे सहारे होकर राही चलकोई बीकान के खरारा नम्बर 462/207 तक दिया जाना उचित है।

AG

उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 165 फीट (5.0305 मीटर) है। इससे नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं है।

3. नवीन प्रस्तावित रास्ता सुविधा का न होकर अत्यन्त आवश्यकता का है जो कि प्रार्थी मंगेजाराम व अपार्थीगण के तीनों खेतों की पूर्वी सीव के सहारे दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ता ग्राम चलकोई बनीरीतान से जवानी पुरा कटानी रास्ते से ग्राम चलकोई बनीरोतान के खसरा नम्बर 498/236 व 497/236 व ग्राम चलकोई बीकान के खसरा नम्बर 461/207, 463/207 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे प्रस्तावित है, जो कि खसरा नम्बर 462/207 की दक्षिणी सीवं तक होगा, उक्त रास्ते में कोई भवन वृक्ष या निर्माण कार्य नहीं है। उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का है एवं दूरी भी कम है।
5. उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम चलकोई बनीरोतान से जवानीपुरा के कटानी रास्ते से शुरू होकर ग्राम चलकोई बनीरोतान के ख० न0 498/236 जो कि प्रमेश्वरी देवी पत्नि भोमाराम जाति जाट नि० जवानीपुरा तहसील व जिला चूरू ख.नं. 497/236 रोही ग्राम चलकोई बणीरोतान प्रमेश्वरी पत्नि भोमाराम 1/5 हिस्सा महेन्द्र कुमार पुत्र भोगाराम 1/5 हिस्सा मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल 1/5 हिस्सा, लिछमा पुत्री भोमाराम 1/5 हिस्सा, हरिराम पुत्र भोमाराम 1/5 हिस्सा जाति जाट निवासी जवानीपुरा एवं रोही चलकोई बीकान के खेत खसरा नम्बर 461/207, प्रमेशवरी पत्नी भोमाराम, भंवरलाल, महेन्द्रकुमार, लिछमा, हरीराम पुत्र–पुत्री स्व. भोमाराम कौम जाटि निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर खसरा नम्बर 461/207 खातेदार मंगेजाराम पुत्र ख्यालीराम जाट निवासी जवानीपुरा की पूर्वी सीव के सहारे सहारे 16.फीट 6 ईंच हैं। उक्त रास्ते में कोई निर्माण या पेड/कुण्ड नहीं है। उक्त रास्ते की कुल लम्बाई 317.2954 मीटर है।
6. प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 16फीट 6 ईंच (5.0305 मीटर) है एवं रोही चलकोई बनीरोतान के ख० नं0 497/236 रोही चलकोई बणीरोतान की पूर्वी सींव के सहारे लम्बाई 236 फीट है। इस प्रकार क्षेत्रफल 3894 वर्गफीट यानि 361.8959 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 498/236 रोही चलकोई बणीरोतान में क्षेत्रफल (210 फीट लम्बा व 16फीट 6ईंच चौडा) 322.0260 वर्गमीटर व रोही चलकोई बीकान के खसरा नम्बर 461/207 में रास्ते का क्षेत्रफल (442 फीट लम्बा व 16फीट 6 ईंच चौड़ा) यानी 677.7881 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 463/207 रोही चलकोई बीकान में से (153फीट लम्बर व 16 फीट 6 ईंच चौड़ा) यानी 234.6189 वर्गमीटर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1596.3289 वर्गमीटर है।

प्रार्थीगण की ओर से डि.एल.सी. रेट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार रोही ग्राम चलकोई बीकान की असिंचीत कृषि भूमि रोड से दूर प्रति हैक्टेयर 223500 रूपये व 446500 रूपये रोड के पास तथा रोही ग्राम चलकोई बनीरोतान की असिंचीत कृषि भूमि रोड से दूर प्रति हैक्टेयर 223500 रूपये व 446500 रूपये रोड के पास है।

रिपोर्ट व डी.एल.सी. रेट प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हों ... में अंकन के लिए आवेदन किया। उनका दावा है कि उक्त रास्ता उनकी कृ... भूमि ... संबंधित है और वे इस रास्ते से पिछले कई वर्षों से आवागमन कर ... ने इस रास्ते का उपयोग रोकने की कोशिश की, ... नहीं है। प्रार्थीगण का कहना है कि उनके खेतों तक जाने के लिए जो रास्ता है, वह ... कृषि भूमि के खसरा नम्बर 462/207रोही चलकोई बीकान का रास्ता खसरा नम्बर 463/207, 461/207, 497/236, 498/236 रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

चलकोई बीकान स्थित है। यह रास्ता 12 फुट चौड़ा है और यह गांव रोही चलकोई बणीरोतान / चलकोई बीकान से जवानीपुरा व सात्यूं की ओर जाने वाले कटानी रास्ते में मिलजाता है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के बीच इस रास्ते के इस्तेमाल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण ने कहा कि वे कई वर्षों से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर, ऊंटगाड़ा, और अन्य वाहनों का आवागमन होता है। उनके अनुसार, यह रास्ता लघुतम है और इसके बिना उनकी कृषि भूमि तक पहुंच पाना संभव नहीं है। अप्रार्थीगण ने इस रास्ते के अस्तित्व को नकारा है और दावा किया है कि उक्त रास्ता कभी भी उनके खेतों से नहीं जुड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थीगण को अन्य रास्ते उपलब्ध हैं, जिन्हें वे उपयोग कर सकते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी दलील में कहा कि यह रास्ता एक ऐतिहासिक कदमी रास्ता है, और इसको राजस्व रिकॉर्ड में सही ढंग से अंकित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।

पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सही प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी खेतों तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थीगण द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादगत कृषि भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता 30 चौड़ाई वाला दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी इसकी मांग प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है परन्तु वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि हमें केवल 16.5 फीट चौड़ाई वाला रास्ता ही चाहिए। इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित 30 फुट की बजाय 16.5 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि अप्रार्थी गण की तुलनात्मक रूप से कम भूमि रास्ते में जाये। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करने हेतु तैयार हैं। ग्राम चलकोई बीकान व चलकोई बनीरोतान की डी.एल.सी. दर 223500/- रूपये प्रति हैक्टेयर है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानों में कवर होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीक[illegible]रू को आदेश दिया जाता है कि कि प्रस्तावित रास्ता जिसकी चौड़ाई 16[illegible] 6 [illegible] (5.0305 मीटर) एवं रोही चलकोई बनीरोतान के खसरा नम्बर 497/236 [illegible] लम्बाई 236 फीट है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफ[illegible]र्गफीट यानी 361.8959 वर्गमीटर व रोही चलकोई बीकान के खसरा नम्बर 498/236 मे[illegible]त्रफल (210 फीट लम्बा व 16फीट 6 ईंच चौड़ा यानि 3465 वर्गफीट) 322.0260 वर्गमीटर व रोही चलकोई बीकान के खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested

461/207 में रास्ते का क्षेत्रफल 677.7881 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 463/207 में से 234.6189 वर्गमीटर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1596.3289 वर्गमीटर कटानी अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न नक्शानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे तथा प्रार्थी संख्या 01 व 02 को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी संख्या 03 को खेत खसरा संख्या 463/207 रोही चलकोई बीकान की रास्ते में जाने वाली भूमि 234.6189 वर्गमीटर गैरमुमकिन रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि की एवज में डी.एल.सी. 223500/- प्रति हैक्टेयर रेट की दुगुनी राशि 234.6189X22.35X2 = *10489*/- रूपये तहसीलदार चूरू के राजकीय खाता में जमा करवाया जाने का आदेश दिया जाता है व प्रार्थी संख्या 01 व 02 को खसरा नम्बर 461/207 रोही चलकोई बणीरोतान की रास्ते में जाने वाली भूमि 677.7881 वर्गमीटर गैरमुमकिन भूमि के रूप में जाने वाली भूमि के एवज में डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि 677.7881X22.35X2 = 30297/- रूपये खसरा नम्बर 497/236 रोही चलकोई बणीरोतान की रास्ते में जाने वाली भूमि 361.8959 वर्गमीटर गैरमुमकिन भूमि के रूप में जाने वाली भूमि के एवज में डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि 361.8959X22.35X2 =16177/- रूपये व खसरा नम्बर 498/236 रोही चलकोई बणीरोतान की रास्ते में जाने वाली भूमि 322.0260 वर्गमीटर गैरमुमकिन भूमि के रूप में जाने वाली भूमि के एवज में डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि 322.0260X22.35X2= 14395/रूपये यानी 30297+16177+14395 = 60689/- रूपये तहसीलदार चूरू के राजकीय खाता में जमा करवाया जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से रास्ते की एवज राशि के भुगतान की सुनिश्चितता करते हुए उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.01.2025 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 के संलग्न नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:56 IST
Reason: SelfAttested